न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रिया डाबी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या : 365/19 वाद GCMS N0 : 2019/00524
पूर्व प्रकरण संख्या : 321/08

उदा पिता कालूजी भील, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. नवलसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. डूल्लेसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. शिवदान सिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री कन्हैयालाल चौड़िया, श्री संजय चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 16.10.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम तितरड़ी, तहसील गिर्वा की साबिक आराजी संख्या 1278 मीन में से वादी को दिनांक 14.10.1976 को 5 बीघा भूमि एलोट की गई तथा उस समय वादी को कब्जा सुपुर्द किया गया था जिसकी नामान्तरण संख्या 576 दिनांक 28.03.1977 को वादी के खाते दर्ज होकर वादी शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है। उक्त साबिक आराजीयात 1278 मीन के हाल आराजीयात

3151, 3152, 3153, 3155, 3156, 3157 किता 06 कुल रकबा 1.2300 हैक्टयर व अन्य नम्बर बनें। दौराने सेटलमेन्ट वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हो गई, जबकि उक्त भूमि पर वादी का वक्त आवंटन से लगातार वादी का कब्जा होकर काश्त चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि वादी का वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना पत्र से तलब किए गए जिस पर बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 18.03.2002 को एक तरफा कार्यवाही अमल की गयी, चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दायर वाद दिनांक 31.07.2003 में एकपक्षीय डिक्री किया गया। प्रतिवादीण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहा अपील दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2005 को रिमाण्ड फरमाया गया। जिससे उक्त प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 60/2005 पर दर्ज होकर न्यायालय हाजा द्वारा पुनः एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 09.05.2005 को निर्णय पारित कर वादी का वाद डिक्री किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 धारा 151 जा.दी. भी पेश किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2008 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2003 एवं 09.05.2005 को निरस्त किया गया। वादी उदा गमेती द्वारा निर्णय दिनांक 23.09.2008 की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई। उक्त निगरानी में दिनांक 03.01.2022 को प्रार्थी उपस्थित नहीं होने से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 (2) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद में वादी उदा उर्फ उदयलाल पिता स्व. श्री कालू निवासी तितरड़ी का स्वर्गवास दिनांक 13.02.2019 को स्वर्गवास हो गया है है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न है। वादी का वर्ष 2019 में स्वर्गवास होने से पश्चात् वादी के विधिक वारिसानों की ओर से आज तक नामकायमी नही कराई गई है। वादी के वारिसानों को समयावधि परिसिमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 के अनुसार 90 दिवस यानि वादी के वारिसान को रेकार्ड पर लेने की समयावधि भी दिनांक 13.05.2019 को समाप्त हो गई है। इस प्रकार कई वर्ष हो जाने के पश्चात् भी वादी के वारिसानों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उपशमन/अबेट हो चुका है ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

हमने विद्वान प्रतिवादी अधिवक्ता की एकतरफा की बहस सुनी गई। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादी उदा उर्फ उदयलाल की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी है, जिसकी नामकायमी भी उसके वारिसानों द्वारा नहीं कराई गई है ना ही उक्त वाद में वादी की ओर से कोई उपस्थित हो रहा है। अतः वर्तमान में उक्त प्रकरण में कोई वादी नहीं है, ना

ही वादी की मृत्यु के पश्चात् वादी के वारिसानों की ओर से कोई उपस्थित हुआ है। जिससे वादी का वाद अबेट हो गया है। अतः वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

हमने सिविल प्रक्रिया सहिता अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसके अनुसार :–

1. जहॉ दो या दो से अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी को या अकेले उत्तरजीवी वादियों को बचा नहीं रहता है, या एक मात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है, और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहॉ इस निमित्त आवेदन किये जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवायेगा और वाद में अग्रसर होगा।

2. जहॉ विधि द्वारा परिसिमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है वहॉ वाद का उपशमन वहा तक हो जाएगा जहॉ मृत वादी का समबन्ध है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का विस्तृत ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया । प्रकरण में माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.09.2008 में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2003 एवं 09.05.2005 को निरस्त किया जा चुका है। जिसकी निगरानी वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई। उक्त निगरानी भी दिनांक 03.01.2022 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। जिससे प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 29.09.2008 की पालना में हेतु निवेदन किया गया उक्त प्रार्थना भी न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

प्रतिवादी द्वारा वादी उदा उर्फ उदयलाल पिता स्व. कालू भील निवासी तितरड़ी तहसील गिर्वा, उदयपुर के स्वर्गवास होने की सूचना दी गई तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वादी उदा उर्फ उदयलाल की मृत्यु दिनांक 13.02..2019 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित होता है। वादी की मृत्यु वर्ष 2019 में होने से आज दिनांक तक वादी के वारिसानों की ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है ना ही नामाकायमी हेतु कोई प्रक्रिया अपनाई गई है। जबकि नियम के अन्तर्गत वादी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्त्राधिकारी को वाद का पक्षकार बनाए जाने के लिए परिसीमा अनुच्छेद 120 के अनुसार उत्तराधिकारीयों को पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन वादी की मृत्यु से 90 दिवस के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। वादी का स्वर्गवास मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 13.02.2019 को होने से समयावधि दिनांक 13.05.2019 को समाप्त हो गयी है। इस प्रकार वादी उदा उर्फ उदयलाल का स्वर्गवास होने के पश्चात् मृत्यु दिनांक से आज दिनांक तक वादी के वारिसानों की ओर से पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद नामाकयमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कया गया ना ही

नामकायमी कराने हेतु कोई प्रक्रिया अपनाई गई। जिससे वादी का वाद अबेट हो चुका है। उक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि वादी की मृत्यु होने से उनके वारिसान प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है तथा उक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहते है। जिससे प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 (2) दीवानी प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वादी का वाद खारीज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रिया ड़ाबी, आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर